

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 738/2012/हनुमानगढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त ए, हनुमानगढ़

....अपीलार्थी

बनाम

मै0 बजरंग राईस मिल्स,  
तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक  
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर (जिसे आगे ("अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 326/आरवेट/हनुमानगढ़ /2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 18.03.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55, 58, 18, 4(2) के तहत कायम की गई मांग राशि क्रय कर रुपये 15,502/- व ब्याज रु. 8,877/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म विनिर्माता है। उसके द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से कर योग्य धान की खरीद की जाकर इसे कच्चे माल में प्रयुक्त करते हुये चावल, ब्रान एवं छिलके का निर्माण किया गया है। इस दौरान इससे सह उत्पाद छिलका का भी निर्माण किया गया है। अपीलार्थी फर्म का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 18.03.2009 को कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा-18(1)(ई) के प्रावधानों के तहत अनुपातिक आधार पर कर मुक्त बिक्री छिलका पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करते हुये छिलका राशि रु. 3,87,539/- पर 4 प्रतिशत की दर से क्रय कर रु. 15,502/- तथा ब्याज रु 4,185/- आरोपित कर दिया तथा अपीलार्थी द्वारा कर देरी से जमा करवाने के कारण धारा-55 के तहत ब्याज रु 4,692/- आरोपित कर दिया, जिसके विरुद्ध अधिनियम 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय



अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2011 द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा पारित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स लि० श्रीगंगानगर [(2009)23टैक्स अपडेट 360] के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर आरोपित कर व ब्याज को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की है। राजस्व की ओर से यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त आदेश दिनांक 29.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में धान की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल छिलका की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज अपास्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-

6. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये धान का उपयोग चावल, ब्रान व छिलके के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें छिलका कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वेट चुकाकर खरीदे गये उक्त धान के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट



टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर क्रय कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

7. इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस. बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-


"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

8. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किये जाने को विधिसम्मत ठहराया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा जिस न्यायिक दृष्टांत के आधार पर निर्णय पारित किया है वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर मुक्त माल पर आरोपित रिवर्स टैक्स एवं ब्याज अपास्त करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.07.2011 को क्रय कर एवं ब्याज की सीमा तक अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित क्रय कर राशि रूपये 15,502/- एवं ब्याज राशि रूपये 8,877/- यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

  
( नत्थूराम )  
सदस्य